

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १७

सम्पादक : मगनभाभी प्रभुवास देसायी

अंक ३०

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाजी देसायी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० २९ सितम्बर, १९५३

वार्षिक मूल्य देशमें ₹० ६
विदेशमें ₹० ८; शि० १४

सत्याग्रहकी मर्यादा

सत्याग्रह करना अचित है या नहीं, करनेवालेमें योग्यता है या नहीं, जिस वस्तुके लिये सत्याग्रह करना है वह सत्याग्रह करने लायक है या नहीं, इसका विचार तो परिस्थितिको देखकर ही किया जा सकता है। और जब साथी मेरी सलाह मांगते हैं, तब मुझे अन्हें रास्ता दिखाना पड़ता है; और बहुत बार यह कहनेके साथ ही कि अन्हें सत्याग्रह करनेका हक है यह भी कहना पड़ता है कि अभी सत्याग्रह करनेका समय या मौका नहीं है।

जिसने रचनात्मक काम करना नहीं सीखा, उसे सत्याग्रहका पहला पाठ भी नहीं आता, ऐसा कहनेमें मुझे संकोच नहीं होता। मेरी दृष्टिमें रचनात्मक काम यानी चरखा और खादी, रचनात्मक काम यानी अस्पृश्यता-निवारण, रचनात्मक काम यानी मद्यपान-निषेध, रचनात्मक काम यानी हिन्दू-मुस्लिमोंके बीच मित्रता। जो आदमी सेवाभावसे, प्रेमभावसे परिपूर्ण नहीं है, वह सत्याग्रह क्या करेगा?

लेकिन जो मेरी सलाह लेने या माननेके लिये बंधा हुआ नहीं है, उसको यह बात लागू नहीं पड़ती। जिसके स्वभावमें अहिंसा है, जो स्वभावसे सत्याग्रही है, जिसके रोम-रोममें सत्य व्याप्त है, जो सेवाकी मूर्ति है, वह जगद्-बंध है। उसे मेरी सलाह लेनेकी कोअी जरूरत नहीं, और यह कहनेकी भी जरूरत नहीं कि उसे अपनी अिच्छाके अनुसार सत्याग्रह करनेका अधिकार है।

लेकिन जो क्रोधसे, घमंडसे भरे हैं, जिनमें अहंभाव काफी मात्रामें है और आवेशके कारण जो सही-गलतका निर्णय नहीं कर पाते, उनसे मैं जरूर कहूंगा कि 'धीरज रखो। अनजानमें भी बिना सोचे-विचारे कोअी कदम अुठाओगे, तो उसका नतीजा कड़वा ही आयेगा। अितना ही नहीं, अभी जो थोड़ी-बहुत मर्यादा पाली जाती होगी, वह भी आगे जाकर टूट जायगी और अंस समय भविष्यकी प्रजा नामके सत्याग्रहके त्राससे पीड़ित होगी, वह हमें शाप देगी और सत्याग्रहकी फजीहत होगी। असलिये हर विचारशील मनुष्यको सत्याग्रहकी मर्यादा जान लेनी चाहिये। अथवा सत्याग्रहका नाम मत लो और जो मर्जीमें आवे करो। दुनिया तुम्हें पहचानेगी। लेकिन सत्याग्रहके नाम पर होनेवाले किन्तु उसे शोभा न देनेवाले कामोंसे दुनिया भी व्याकुल होगी, परेशान होगी और उसे अपनी दिशा नहीं सूझेगी।'

(नवजीवन, ५ जुलाजी, १९३१)

अगर सत्याग्रही धीरज रखे तो असा अेक भी अन्याय नहीं, जिसका उसके पास अिलाज न हो। अितना याद रखना चाहिये कि जिस पर अन्याय होता है उसमें यदि विलकुल शक्ति न हो, तो सत्याग्रहमें असि शक्तिके बिना वह अन्यायका सामना करनेका

साधन नहीं बन सकता। यह सत्याग्रहकी मर्यादा है। सत्याग्रहका काम पदार्थपाठ देकर दुःखीको दुःखसे मुक्त होनेके लिये तैयार करना है। जब तक वह तैयार न हो, तब तक सत्याग्रहीको धीरज रखना चाहिये। असमें अगर सत्याग्रहकी मर्यादा है, तो उसकी खूबी भी है। असलिये सत्याग्रही किसीका वडील या पालक नहीं बनता। वह दुःखीके साथ दुःख भोगकर उसका साथी बनता है, हिस्सेदार बनता है।

जहां-जहां अनीति और अन्याय देखो, वहां-वहां आक्रमण करनेके लिये तुम बंधे हुअे हो असा मत मानो। बल्कि चुपचाप रचनात्मक काम करके योग्यता प्राप्त करो। लड़ाकीको खोजने मत जाओ। लेकिन जब वह तुम्हारे सामने आ जाय, तो उसका स्वागत करो। (नवजीवन, १९ जुलाजी, १९३१) मो० क० गांधी (गुजरातीसे)

हिन्दू समाजको चेतावनी

अखबारोंमें यह समाचार आया है कि श्री विनोबा और अुनकी मंडलीके लोग कुछ हरिजनोंके साथ बिहारमें देवघरके श्रीबैजनाथ ज्योतिर्लिंगके दर्शन करने जा रहे थे, अुस समय मंदिरके दरवाजे पर कुछ पंडे अुन पर टूट पड़े और अुन्हें मारा। असा मालूम होता है अुनमें दो-तीन बहनोंको भी मारा गया। श्री विनोबा पर भी हाथ अुठाय़ा गया था। पटनासे अुनके मंत्री श्री दामोदरदास मूंदड़ाका तार आया है, जिसमें वे लिखते हैं:

"अीश्वरकी कृपासे अेक बड़ा संकट टल गया। कुमुमताअी देशपांडे पर हमला हुआ, लेकिन अब वे ठीक हैं। नंदकिशोर शर्मा और चंद्रेश्वरजी हरिजनको गहरी चोट आअी है, लेकिन चिन्ताका कारण नहीं है।"

यह समाचार पढ़कर हरअेक भारतवासीको और खास करके हरअेक हिन्दूको शर्मसे सिर झुकाने जसा लगेगा। हरिजनोंके मंदिर-प्रवेशको कोअी प्रसन्द करे या न करे, फिर भी मजहबी पागलपनकी कोअी हद तो होनी ही चाहिये। वर्ना नागरिक और जंगलीमें कोअी भेद ही नहीं रह जायगा। बैजनाथका मंदिर हिन्दुओंके मुख्य देव-स्थानोंमें से अेक है। श्री विनोबा जैसे भक्त और साधु पुरुष अुसके दर्शनके लिये जायं और साथमें हरिजनोंको ले जायं, यह आज सन् १९५३ में भी अितना बड़ा अपराध माना जाता है कि पंडे अपने आपमें न रहें? यह तो निरी गुंडेबाजी ही कही जायगी; असमें धर्मकी कोअी बात ही नहीं है। सज्जनता भी नहीं है।

और पंडोंका यह व्यवहार तो सारे राष्ट्रके प्रति महान् अपराध है। आज स्वराज कायम हो जाने पर भी पंडे असि चीजको समझ नहीं पाये, यह बताता है कि अस्पृश्यताकी जड़ कितनी गहरी जमी हुई है। असि घटनासे, खास करके बिहारकी हिन्दू जनताकी आंख खुलनी चाहिये। मंदिरमें जानेवाले लोगोंको हरिजनोंके बिना अुसमें प्रवेश न करनेका व्रत लेना चाहिये। असा

करनेसे पंडोंकी रोजी छिन जाय और बेकारी बड़े तो भले बड़े। लेकिन जिस तरहकी दुर्जनताका तो अब अन्त आना ही चाहिये। पंडे और अन्के जैसे विचारवाले दूसरे लोग जिस बातको समझ लें कि अन्की लकड़ियों वगैराकी मार सच पूछा जाय तो मंदिरके भगवान पर ही पड़ी है। क्योंकि यह हमला धर्म और अीश्वरकी सच्ची भावना पर ही हुआ कहा जायगा।

विदेशके लोग यह समाचार पढ़कर क्या कहेंगे? क्या सोचेंगे? गोहे लोग अगर अपने देशमें हमें न घुसने दें, तो अन्की यह भावना हमारे सनातनी हिन्दुओंसे किसी रूपमें कम मानी जायगी? हिन्दू मंदिरोंके रक्षक बन बैठनेवाले वर्ग सच्चे धर्मको समझें और अन्से अपना घंघा न बना लें। क्योंकि अब राज बदल गया है; जमाना बदल गया है। अन्हें यह भान होना चाहिये कि अन्की अंसी करतूतें केवल नास्तिकताको ही बढ़ायेंगी।

जिसे कोअी क्रोधकी वाणी न मानें; अेक हिन्दूके दुःखी हृदयके अुद्गार यह जरूर हैं। यह सब देखकर मनमें विचार आता है कि जिससे शर्मिन्दा होना चाहिये या गुस्सा होना चाहिये? हम अीश्वरसे अितना ही मांगें कि, हे दयानिधि, तेरे दास और रक्षक कहे जानेवाले अिन लोगोंको सच्ची समझ दे और हम पर व अन् पर तेरी दयाका अमृत बरसा।

हिन्दू समाज जिस घटनाको अीश्वरकी दी हुअी चेतावनी माने और समझे कि आज वह कहां है।

२१-९-५३

मगनभाअी देसाअी

(गुजरातीसे)

खादीका अुपयोग — अेक राष्ट्रीय कर्तव्य

[२९ अगस्त, १९५३ के दिन राष्ट्रपतिजीके आदेशसे केन्द्रीय सरकारके मंत्रियों और अुच्च अधिकारियोंकी राष्ट्रपति-भवनमें जो बैठक बुलाअी गअी थी, अुसमें अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग बोर्डके अध्यक्ष श्री वैकुण्ठलाल महेता द्वारा दिये गये वक्तव्यमें से नीचेके भाग लिये गये हैं।]

आज हमारी कल्पनाके अनुसार खादीका मुख्य काम यह है कि वह ग्रामवासियोंको पूरा काम दे। देशका भविष्य अिन लोगोंके हाथमें है, वे आज दिनोंदिन बढ़ रही बेकारीसे अितने चिन्तित हैं, अतने दूसरी किसी समस्यासे नहीं। चूंकि हममें से ज्यादातर शिक्षित लोग कस्बों और शहरोंमें रहते हैं, अिसलिये वहांके शिक्षितोंमें बेकारीका जो दर्शन होता है, वही हमारी चिन्ताका विषय बन गया है। लेकिन अिससे भी विकट समस्या तो हमारे अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रोंकी स्थायी बेकारी और अर्ध-बेकारीकी है।

हमारी पंचवर्षीय योजनाका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रोंमें फैली हुअी बेकारीको कम करना और देशकी अिसत आमदनीके स्तरको अूँचा अुठाना है, हालांकि यह धीरे-धीरे ही हो सकेगा। पंचवर्षीय योजना दो दिशाओंमें काम करके यह ध्येय सिद्ध करना चाहती है। पहली दिशा है लोगोंको जमीन पर ज्यादा काम पाने और ज्यादा आमदनी करनेके मौके देना। लेकिन अगर में कार्यक्रमके अिस पहलूकी चर्चा करूंगा, तो हम आजकी अिस बैठकके अुद्देश्यसे बाहर चले जायेंगे। हमारा संबंध कार्यक्रमके दूसरे पहलूसे है — यानी गांवोंमें अनुकूल सहायक धंधे खोलकर और ग्रामोद्योगोंको पुनर्जीवन देकर तथा अन्का पुनर्गठन करके अुत्पादक कामके मौके बढ़ाना और अिस तरह जमीन पर आबादीका बोझ कम करना। गांवोंमें मिलनेवाले कच्चे मालको स्थानीय मजदूरोंकी मददसे शुद्ध रूप देनेका प्रबंध किया जाय और सादे औजारों, यंत्रों और पद्धतियोंसे रोजमरके अुपयोगकी चीजें बनानेकी व्यवस्था की जाय, तो सारे राष्ट्रकी अुत्पादक शक्ति और क्षमताका ज्यादा

अच्छा अुपयोग किया जा सकता है और साथ ही गांवोंके लोगोंको अनियंत्रित रूपसे शहरोंमें जाकर बसनेसे रोका जा सकता है, जो अनेक समस्याओंको जन्म देता है, अिनमें शहरी लोगोंकी बेकारीकी समस्या कोअी छोटी-मोटी समस्या नहीं है।

ग्रामोद्योगोंमें कपड़ेके अुत्पादनका मुख्य स्थान है। यह बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि भोजन और मकानके बाद मानवकी सबसे बड़ी जरूरतकी चीज कपड़ा ही है। कपड़ेका अुत्पादन हमारे प्राचीन अुद्योगोंमें सबसे पुराना अुद्योग था। हमारे यहां जो विविध प्रकारका कपड़ा बनता था, अुसने भाप और विजलीसे चलनेवाली मशीनोंके युगसे पहले दूर दूरके देशोंमें बड़ी प्रसिद्धि पाअी थी। अिस अुद्योगका कैसे और क्यों नाश हुआ, यह हमारे आर्थिक अितिहासका अेक पहलू है, जिसकी आज हमें चर्चा करनेकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आजके जमानेमें भी अत्यन्त कार्यक्षम और संगठित मिल-अुद्योगके बनिस्वत अिस अुद्योगमें ज्यादा लोगोंको काम मिलता है। हमारे देशका हाथ-करघा अुद्योग, जो बड़ी संख्यामें लोगोंको रोजी देता है, आज दयनीय हालतमें मुख्यतः अिसी कारणसे है कि अुसे अपने बुनियादी कच्चे माल—सूत—की पूर्तिके लिये अपनी प्रतियोगी कपड़ा-मिलों पर निर्भर रहना पड़ता है। लगभग आजसे पैंतीस वर्ष पूर्व हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीने हाथ-कताअी अुद्योगको फिरसे अिलाने और संगठित करनेका काम पहले-पहल अपने हाथमें लिया, अुसके पहले यह अुद्योग मृतप्राय अवस्थामें ही था।

पुराने समयमें हाथ-कताअी अुद्योग ही अुन सुन्दर वस्त्रोंके लिये कच्चा माल मुहय्या करता था, अिनके लिये हमारे बुनकर सारी दुनियामें मशहूर थे। गांधीजी यह देखनेके लिये बड़े अुत्सुक थे कि हमारा यह अुद्योग स्वतंत्र भारतमें फिरसे वैसी ही कीर्ति प्राप्त करे। अगर हम फिलहाल अिस कार्यक्रमके आर्थिक मूल्य तक ही अपनी दृष्टिको सीमित रखें, तो हमें अिसमें अपार संभावनायें दिखाअी देती हैं। जैसा कि बम्बअी-सरकार द्वारा नियुक्त की गअी अेक कमेटीने १५ साल पहले कहा था, "टेकनिकल अानकी हमारी वर्तमान स्थितिमें और अिन लोगोंके लिये सहायक धंधा खोलनेकी जरूरत है अन्की भारी संख्याको देखते हुअे भारतीय किसानोंके लिये हाथ-कताअी अुद्योग अत्यन्त अनुकूल सहायक धंधा है। अुसके लिये बहुत ही थोड़ी पूंजीकी जरूरत होती है, वह आसानीसे सीखा जा सकता है, किसानकी सुविधानुसार वह अपनाया जा सकता है और छोड़ा भी जा सकता है और गांवोंकी सदियों पुरानी परंपराओंसे अुसका मेल भी बैठता है।" में मानता हूं कि अिसी खयालसे योजना-कमीशन खादी और दूसरे ग्रामोद्योगोंको हमारे ग्रामविकासके कार्यक्रममें केन्द्रीय स्थान देनेको तैयार हुआ है।

अेक समस्या — जो शायद सबसे कठिन है — रह जाती है। वह है अिस कार्यक्रमके फलस्वरूप खादीके ज्यादा बड़े हुअे अुत्पादनको बाजारमें बेचनेकी। खादी बोर्ड अुत्पादनमें जो कुछ सुधार करना चाहता है और व्यवस्था-संबंधी जो भी मदद वह देगा, अुस सबके कारण खादीकी कीमत घटेगी; लेकिन वह अितनी ज्यादा नहीं होगी कि खादीका कपड़ा मिलके कपड़ेसे टक्कर ले सके। केन्द्रीय सरकारकी मंजूरीसे बोर्डने ग्राहकोंको भावमें जो रियायत देना स्वीकार किया है, वह अुत्पादन, व्यवस्था वगैराके खर्चका बोझ राज्य पर डालती है। यहां में अिस बात पर अोर देना चाहूंगा कि ये खर्च बोर्ड बहुत ही कम रखनेकी कोशिश करता है। फिर भी दोनों कीमतोंके बीच फर्क तो रहेगा ही। अिस फर्कको राज्य या ग्राहक हमारी सबसे पुरानी दस्तकारीको टिकाये रखनेके लिये दी गअी मदद और ग्रामीण समाज या पाकिस्तानसे निराश्रित बनकर भारतमें आये हुअे देशबंधुओंके

दृश्य और अदृश्य दुःखोंको कम करनेके लिये दी गयी मददके रूपमें मान लें।

आर्थिक दृष्टिसे शक्तिशाली देशोंमें, राज्य 'डोल' की पद्धति निकाल कर या सामाजिक सुरक्षाके लिये दूसरे रूपोंमें पैसा देकर बेकारी या अर्ध-बेकारीके दुःखको कम करनेकी जिम्मेदारी अपने सिर लेता है। लेकिन 'डोल' की पद्धतिसे कहीं ज्यादा पसन्द करने लायक अुपाय किसी न किसी तरहके सादे अुत्पादक कामके बदलेमें मजदूरी देना होगा। खादीके कामको फैलाकर हम यही करना चाहते हैं। जिससे खादीका अुत्पादन बढ़ेगा। जिन सिद्धान्तों पर यह आन्दोलन संगठित किया जा रहा है, वे यथासंभव स्वावलंबनके आधार पर खादी अुत्पन्न करने पर जोर देते हैं, ताकि अुसे बेचनेके लिये बाहर बाजार खोजनेकी जरूरत न रह जाय। हमारी राष्ट्रीय सरकारने खादी-अुत्पादनके कामको संगठित करने और आर्थिक मदद पहुंचानेके लिये बोर्डको धन देकर और अपनी जरूरतोंके लिये सुविधानुसार ज्यादासे ज्यादा खादी खरीदकर राहत और पुनर्निर्माणके इस कार्यक्रमको सफल बनानेकी जिम्मेदारी अपने सिर ली है। अुसने खादीकी विक्रीके लिये गोदाम रखने और दुकाने खोलनेमें मदद देना भी स्वीकार कर लिया है। बाकी बचा हुआ काम ग्राहकोंकी जिम्मेदारी है।

खादी बोर्ड, भारतके राष्ट्रपतिके आशीर्वादके साथ, आगामी गांधी-जयन्तीके अवसर पर आम लोगोंसे अपील करना चाहता है। आज बोर्ड लोगोंके असे चुने हुअे दलसे अपील करता है, जो हमारी रायमें खादीको ज्ञान और समझपूर्वक अपनाकर बाकीके समाजको रास्ता बता सकता है। जिस बैठकमें जो शासक और अधिकारी वर्ग अुपस्थित हैं, वे आम लोगोंके बनिस्वत पंचवर्षीय योजनाके सामाजिक, और आर्थिक महत्त्वको तथा अुसे सफल बनानेके लिये हममें से हरअेक पर आये हुअे फर्जको ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसा कि मैं समझता हूं, बड़े पैमाने पर लोगोंको काम देनेके लिये खादीका अुत्पादन बढ़ाना पंचवर्षीय योजनाका अेक अभिन्न अंग है। योजनाके इस भागको आगे बढ़ानेका अेक सबसे अच्छा रास्ता जिस बातका निश्चय कर लेना है कि जिस तरह जो खादी पैदा होगी, वह समाजके अुन लोगों द्वारा खरीद ली जायगी, जो विवेकशील ग्राहक हैं और आवश्यक क्रय-शक्ति रखते हैं। दूसरे विश्वयुद्धके दिनोंमें तत्कालीन सरकारने देशके सब लोगोंसे, जिनमें शासन-तंत्रसे संबंधित लोग भी शामिल थे, अपील की थी कि वे पैसेसे सरकारकी मदद करें, ताकि वह युद्धके साधन मुहय्या कर सके। आज हमारी सरकारने गरीबी और बेकारीके खिलाफ युद्ध छेड़ा है। खादी जिस युद्धका अेक अंग है, जिसकी सफलताके लिये अपनेसे संबंध रखनेवाले सब लोगोंसे सरकार यह अपील कर सकती है कि वे खादीको अपनाकर और आगेसे राष्ट्रीय कर्तव्यके रूपमें अुसे खरीदकर, जिस युद्धके साधन मुहय्या करनेमें अुसकी मदद करें।

(अंग्रेजीसे)

भूदान-यज्ञ विनोबा भावे

कीमत १-४-०

डाकखर्च ०-६-०

रचनात्मक कार्यक्रम

[दूसरा संस्करण]

लेखक : गांधीजी

अनु० काशिनाथ त्रिघेदी

कीमत ०-६-०

डाकखर्च ०-२-०

गरीबी और मौज-शौक

मुझे लगता है कि हमारा घनिक और शिक्षित वर्ग मौज और शौककी वस्तुओं पर जो अपव्यय करता है, वह भी हमारी गरीब जनताके बढ़ते हुअे असंतोषका अेक बड़ा कारण है। टॉल्स्टॉयने कहीं कहा है कि आदमीकी आवश्यकताकी पूर्ति तो हो सकती है, क्योंकि आवश्यकताकी अेक सीमा होती है; पर शौककी कोअी सीमा नहीं होती। गांधीजी कहते थे कि पानीका भी अपव्यय नहीं होना चाहिये, और नमकका कण भी जरूरतसे ज्यादा न लिया जाय। आज कितने लोग हैं, जो गांधीजीकी इस शिक्षाका पालन करते हैं और गरीबोंका खयाल रखते हैं? परिस्थिति यह है कि अेक ओर घनिक और शिक्षित वर्ग सुख-भोगमें रत हैं, तो दूसरी ओर हमारे लाखों-करोड़ों देश-भाअी भूखे पेट जिन्दगी बसर कर रहे हैं। गांधीजी तो 'सादा जीवन और अुच्च विचार'के हिमायती थे और अकसर कहते थे कि अुन्हें अैसी सुविधा या अधिकार नहीं चाहिये, जो गरीबसे गरीबको न मिल सकता हो।

पश्चिममें हिंसा और भौतिक सुखवादकी प्रवृत्ति अवश्य है, लेकिन हम इस बातसे जिनकार नहीं कर सकते कि अपनी जनताके लिये अन्न और वस्त्रकी व्यवस्था करनेमें वे हमसे आगे हैं। अुनका दृष्टिकोण अुदार है और पड़ोसियोंके लिये, अपने देशवासियोंके लिये अुनमें दया और प्रेमका भाव है। हम तो अपनी वैयक्तिक मुक्तिमें ही संतोष मानते हैं। अुनमें राष्ट्रीय अेकताका भाव है, जब कि हम जाति और सम्प्रदायके भेदोंमें बिखरे हुअे हैं। वे अपनी मौजूदा सफलताओंकी बात करते हैं, जब कि हम अपनी भूतकालीन संस्कृति और वैभवका ही गौरव गाते हैं।

अिसका यह अर्थ नहीं कि हम पश्चिमी लोगोंकी हर बातमें नकल करने लगे। वे लोग हमारे यहां बीड़ी-सिगरेट, शराब, जुआ, अश्लील चित्रों और साहित्यके जरिये कामवृत्तिका सेवन, विविध फैशनोंका अनुसरण और परिणामस्वरूप-आवश्यकताओंकी वृद्धि आदि अनेक बुराइयां लाये हैं, जिनके कारण हमारे समाजका अनेक तरहसे अंपकार हो रहा है। विलासवृत्तिके सेवनकी आदत आसानीसे लग जाती है, पर अुसका छोड़ना कठिन होता है। किसी कहा-वतमें बताया गया है कि भोगविलास और आलस्यने ही दुनियासे सारे सद्गुणोंका लोप कर दिया है। हमारे देशके कल्याणकी तब तक कोअी आशा नहीं, जब तक हम मौज-शौककी आदतोंको छोड़कर नीति और सादगीका जीवन नहीं अपनाते, तथा अपने दुखी भाअियोंकी स्वेच्छापूर्वक सहायता करना नहीं सीखते। जॉन रस्किनने ठीक ही कहा है "मौज-शौकका — वह वैयक्तिक हो या राष्ट्रीय — हमें बहुत महंगा मूल्य देना पड़ता है, क्योंकि अुन पर खर्च होनेवाला श्रम आखिर अुपयोगी वस्तुओंके अुत्पादनमें लगनेवाले श्रमको कम करके ही तो पाया जाता है। लेकिन जब तक सब गरीबोंके रहने और खानेकी पूरी सुविधापूर्ण व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक किसी राष्ट्रको मौज-शौक आदिके सेवनका अधिकार नहीं हो सकता।"

(अंग्रेजीसे)

अेन० आर० बालकृष्णन्

महादेवभाअीकी डायरी

संपा० नरहरि परीख

अनु० रामनारायण चौधरी

पहला भाग : की० ५-०-० डाकखर्च ०-१४-०

दूसरा भाग : की० ५-०-० डाकखर्च ०-१४-०

तीसरा भाग : की० ६-०-० डाकखर्च १-१-०

नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद - ९

हरिजनसेवक

२६ सितम्बर

१९५३

भूमिदान और सत्याग्रह

भूमिदान आन्दोलनका एक गुण यह है कि उसके जरिये जमींदारोंसे बिना मुआवजेके जमीन मिलती है। यह चीज समाजवादी विचारधाराके लोगोंको खास तौर पर पसन्द है। समाजवादी पक्ष यह चाहता और मानता है कि बेजमीनोंको बिना मुआवजेके जमीन मिलनी चाहिये। क्योंकि मुआवजा देना पड़े तब तो बेजमीनोंके लिये जमीन पाना असंभव होगा। परंतु जिसके साथ जिस विचारके लोगोंमें एक असी अश्रद्धा और डर भी रहता है कि जिस प्रकार मांगनेसे अगर पूरी जमीन न मिले तो क्या होगा? वैसी स्थितिमें बिना मुआवजा दिये जमीन लेनेके लिये क्या करना होगा? यह प्रश्न कितने ही लोगोंके मनमें अठता रहता है।

बिना मुआवजेके जमीन लेना हो तो वह किस तरह ली जाय — जिसका एक अस्पष्ट उत्तर मन ही मनमें यह दिया जाता रहा है कि असा होगा तो सत्याग्रह किया जायगा। जिस तरहका अुपाय लेनेकी बात श्री विनोबाके कुछ भाषणोंमें से भी अुद्धृत करके बतायी जाती है। परंतु वह सत्याग्रह कैसा होगा? अुसका कदम क्या होगा? — जिस बारेमें अभी तक किसी तरफसे कोअी स्पष्टता नहीं की गयी है। असा लगता है कि पारडीमें समाजवादी पक्षने जो आन्दोलन शुरू किया है, अुसके पीछे यही दृष्टि रही होगी। असा माननेका कारण हमें मिलता है कि अगर मुआवजा न देकर केवल मांगनेसे जमीन न मिले, तो बिना मुआवजेके जमीन पानेका कोअी रास्ता पारडीके 'खेड़ सत्याग्रह' कहे जानेवाले कदमसे खोजा जा रहा है।

श्री जयप्रकाशनारायणने पारडी-आन्दोलनके बारेमें हालमें ही एक अखबारी बयान निकाला है। अुसमें आन्दोलनके विषयमें सफाअी पेश करते अुजे वे कहते हैं: "यह आन्दोलन भूमिदानके साथ अुझे असंगत नहीं मालूम होता। विनोबाजीने हमेशा कहा है कि किसी अुसामीको अपनी न्यायपूर्ण अधिकारकी जमीनसे हटना नहीं चाहिये। आज सामाजिक स्थिति असी है कि कोअी अकेला काश्तकार खातेदारका सामना नहीं कर सकता, भले अुसका पक्ष कितना ही न्यायसंगत क्यों न हो। और जो बात अेकके लिये सच है, वह अनेकोंके लिये झूठ नहीं हो सकती।" जिसका अर्थ यह अुवा कि पारडी-आन्दोलनमें कअी लोग अिकट्ठे होकर न्यायतः जिसे अपनी जमीन मानते हैं, अुसे लेनेके लिये निकल पड़े हैं। लेकिन यह चीज भूदानके सिद्धान्तसे कैसे अुचित ठहरायी जा सकती है या अुस सिद्धान्तसे जिसका मेल कैसे बैठता है, यह समझमें नहीं आता।

भूमिदान आन्दोलनके बारेमें कुछ लोग पहलेसे ही असी शिकायत करते रहे हैं कि जिस आन्दोलनका अेक दोष यह है कि अुसकी सफलताका आधार जमीन-मालिकोंके जमीन देने पर है। बेजमीन लोग खुद जमीन पानेके लिये क्या कर सकते हैं, यह नहीं बताया जाता। जिस शिकायतका सादा अर्थ यह है कि बेजमीन लोगोंके सामने असा कोअी कार्यक्रम रखा जा सकता है, जिसके बल पर बिना मुआवजेके अुन्हें जमीन मिलने लगे? हम जानते हैं कि कुछ खास लोगोंकी ओरसे असे कार्यक्रमकी मांग हमेशा होती रही है। असा मानना चाहिये कि पारडीके खेड़

सत्याग्रहका कार्यक्रम जिसी प्रकारका अेक नुस्खा है। असी हालतमें अुसके संघमें कुछ सवाल पैदा होते हैं: —

१. खातेदारोंकी जमीन न्यायसे अुनकी नहीं, बल्कि काश्तकारोंकी मालिकीकी है — यह कैसे? सरकारी कानूनके मुताबिक तो वह काश्तकारोंकी नहीं है।

२. पारडीमें जो सत्याग्रह किया जा रहा है, वह क्या सरकारी कानूनके जिस मुद्देके खिलाफ है? अगर असा हो तो अुसमें क्या अुधार कराना है, यह कभी बताया नहीं गया है। जिससे मालूम होता है कि यह आन्दोलन सीधा सरकारके कानूनके खिलाफ नहीं है।

३. क्या यह सत्याग्रह खातेदारोंके खिलाफ है? क्या अुनके मनमें असी बात जमा देनेके लिये यह कदम अुठाया गया है कि 'तुम हमें जमीन दे दो, वरना हम सब मिलकर अुसे छीन लेंगे?' मान लीजिये असा ही हो, तो क्या यह भूमिदानका अहिंसक तरीका कहा जायगा? और जिस तरह ली जानेवाली जमीन अुन सबमें से किसे मिलेगी? कौन अुसे अुनकी मालिकीकी बना देगा?

४. लेकिन असा करनेसे जमीन मिल जायगी, यह तो शायद ही अुस आन्दोलनके किसी नेताने माना होगा। ज्यादासे ज्यादा जिसमें अुनकी यह कल्पना रही हो कि जिस तरह यदि लोगोंको काफी अुभाड़ा जा सके, तो असी नयी स्थिति खड़ी हो सकती है, जिसकी वजहसे सरकार और खातेदारोंको जिस बारेमें कुछ विचार करना पड़े। क्या यह कल्पना अुचित है?

५. अगर असा हो तो यह सरकारका कानून अपने हाथमें ले लेनेकी बात अुयी। जिसे सत्याग्रह नहीं, बल्कि 'पेसिन्ह रेजिस्टेन्स' जैसी परेशान करनेवाली या धांधली मचानेवाली चीज ही कहा जा सकता है। आज भारत स्वतंत्र है; लोकमतको तैयार करके सोचा अुया काम पूरा किया जा सकता है। सरकार यदि न माने, तो अुसे बदला जा सकता है। सत्याग्रहका सिद्धान्त तो असे ही कदम अुठानेकी बात कहेगा। लेकिन आज तो सरकार भी भूमिदान और जमींदारी-अुन्मूलनको पसन्द करती है, जिसलिये अंतिम अुग्र अुपायकी जरूरत नहीं।

६. अितने पर भी अगर सत्याग्रह करना ही हो, तो असे मौके पर असहयोगका रास्ता लिया जा सकता है। सफल असहयोगके लिये लोगोंमें अपने पांव पर खड़े रहनेकी शक्ति पैदा करनी चाहिये; जिसके लिये अुनके बीच व्यवस्थित रूपसे रचनात्मक कार्य किये जाने चाहिये। जिसके बजाय खातेदारोंकी जमीनों पर धावा बोलना, अुपयोगी धास बरबाद करना वगैरा कदम रचनात्मक कार्योंकी जगह कैसे ले सकते हैं? और अुसे सत्याग्रह कैसे कहा जा सकता है?

७. या, यह प्रदर्शन पारडीके गरीब लोगोंकी दयनीय दशा बतानेको किया गया है? लेकिन यह प्रदर्शन सत्याग्रह नहीं हो सकता। यह तो जैसे आज अुपवासके हथियारका अुरुपयोग होता दिखायी देता है, अुसी तरह सत्याग्रहके हथियारका अुरुपयोग अुया।

८. जिसलिये, अिच्छा हो या न हो, जिस तरहका आन्दोलन वर्ग-विग्रहका रूप ले लेता है। समाजवादके शास्त्रमें वर्ग-विग्रह अेक बुनियादी और अुपयोगी हथियार माना जाता है। पारडी-आन्दोलनके पीछे कहीं यह हेतु तो नहीं है?

असे दूसरे भी कअी सवाल पैदा होते हैं। अुनका सार अही है कि पारडीका आन्दोलन गलत है। वह भूमिदान आन्दोलनके रास्ते नहीं चलता। तब सोचना यह है कि लोग क्या करें।

जिन्हें भूमिदानके शांतिपूर्ण मार्गमें श्रद्धा हों, उन्हें जैसे समय जोरसे अपना काम करना चाहिये। समाजवादी पक्ष यह रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते जाता है तो उसकी मर्जी। वह अपना रास्ता अपनी जिम्मेदारी पर ले सकता है। फिर भी भूदानका काम करनेवाले दूसरे लोगोंको तो अपने सीधे शांतिपूर्ण मार्गसे ही काम करना चाहिये। खातेदार भी भूमिदान दें; समाजवादी पक्षकी गलतीको न देखते हुये वे अपने धर्मका पालन करें। बेजमीन लोगोंको भी समझाना चाहिये कि वर्ग-विग्रहके रास्ते जानेमें सुख नहीं है। उस रास्ते जाना जरूरी भी नहीं है; उसमें सत्याग्रह नहीं है। उन्हें यह चीज समझानेका कारगर अुपाय भी भूमिदान आन्दोलनको श्रद्धासे आगे बढ़ाना ही है। गुजरातके भूमिदान आन्दोलनके कार्यकर्ताओंको भी पारडी-आन्दोलनके निमित्तसे भूदानके संबंधमें फिरसे अपनी नीति और श्रद्धा व्यक्त करके जिस दुःखद आन्दोलनको पुनः सही रास्ते पर लाना चाहिये।

१८-९-५३

मगनभायी देसायी

(गुजरातीसे)

सरकारी कर्मचारियोंको राष्ट्रपतिका आदेश

[राष्ट्रपति-भवनमें, ता० २९ अगस्त, १९५३ को, खादीको ज्यादा लोकप्रिय बनानेके विषय पर विचार करनेके लिये केन्द्रीय सरकारके मंत्रियों और अपरी अधिकारियोंकी एक अनौपचारिक बैठक हुआ थी। यह बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू, वासि प्रेसीडेंट डॉ० राधाकृष्णन् और अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग बोर्डके सदस्य उपस्थित हुये थे, राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसादके आदेश पर बुलायी गयी थी। बैठकमें भाषण करते हुये राष्ट्रपतिने कहा:]

हम लोगोंमें से बहुतोंका खादीके साथ पिछले तीस-पैंतीस सालोंसे संबंध रहा है। यहां जो लोग उपस्थित हैं, उनमें से कभीने जिस काममें अपना बहुतसा समय और विचार लगाया है। मिलका कपड़ा खादीकी होड़ करता है, यह एक कठिनायी तो है ही; दूसरी कठिनायी यह भी है कि जितनी खादी हमें चाहिये, उतनी मात्रामें वह मिलती नहीं।

खादीकी आर्थिक उपयोगिताका आधार हमारे देशके जीवनकी कुछ बुनियादी परिस्थितियां हैं। हम जानते ही हैं कि भारत कृषि-प्रधान देश है और हमारी जनताका कोयी ७०-८० प्रतिशत अपनी आजीविकाके लिये किसी-न-किसी रूपमें खेती पर निर्भर है। आप किसानका जीवन देखें, तो आपको मालूम होगा कि उसकी खेती चाहे जितनी बड़ी या छोटी हो, उसे और उसके परिवारको उसमें लगातार सालभर पूरा काम नहीं मिलता। लेकिन साथ ही कोयी दूसरा काम ढूँढ़नेके लिये वह अपनी जगह छोड़नेकी बात भी नहीं सोच सकता, क्योंकि खेतीके काममें उसे बीच-बीचमें ध्यान देनेकी आवश्यकता होती है। किसान और उसके परिवारके लोगोंका जो समय जिस तरह बेकार जाता है, उसका उपयोग खादी तैयार करनेमें कर लिया जाय, तो सारे देशके लिये आवश्यक पूरी खादी हमें मिल सकती है।

अच्छे मेहनताना कम मिलेगा, यह बात सही है। लेकिन उस पर किसीको कोयी शिकायत नहीं हो सकती, क्योंकि वह उनके जैसे समयकी आय होगी, जब कि उन्हें जमीनसे कुछ नहीं मिलता। वह अपने अन्यथा बेकार जानेवाले समयमें कुछ तो कमायेगा, और आखिर यह 'कुछ' बिल्कुल नगण्य भी नहीं होगा। क्योंकि अगर वह अपना फाजिल समय उसमें लगाता है, तो उसे फिर एक गज भी कपड़ा खरीदनेकी जरूरत नहीं रह जाती। मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभवके बल पर कह सकता हूँ कि प्रतिदिन एक घंटा काता जाय, तो जो सूत पैदा होता है वह हमें अपनी जरूरतका सारा कपड़ा, यानी फी आदमी १५-२० गज, पुरा सकता

है। अगर आप खादीके जिस पहलूका खयाल करें, तो उसकी महंगाईका सवाल अुठेगा ही नहीं, क्योंकि वह लोगोंके फाजिल वक्तकी मेहनतका फल है। यह खादीका एक बुनियादी पहलू है। लेकिन हम जानते हैं कि लोगोंमें काम करनेकी, मेहनत करनेकी रुचि नहीं होती। लेकिन अिन सारी कठिनायियोंके बावजूद मुझे लगता है कि खादीका प्रचार किया जा सकता है, जैसा कि भूतकालमें, जब गांधीजीने जिस आन्दोलनको शुरू किया, किया गया था। उस समय हम लोग सरकारमें नहीं थे और न सरकारसे किसी तरहकी मददकी अुम्मीद करते थे। तो भी देशमें एक वर्ग ऐसा था, जो खादीको पकड़े रहा और उसका अुपयोग करता रहा। यह वर्ग देशमें आज भी मौजूद है। अब हम चाहते हैं कि दूसरे वर्ग, जो उस समय खादीके साथ नहीं थे, वे भी अब जिसे अपनाये और प्रोत्साहन दें। मुझे बड़ी खुशी है कि अर्थमंत्रिने खादीको आर्थिक मदद देना मंजूर कर लिया है।

स्त्रियोंकी साड़ियां खादीमें बहुत महंगी पड़ेगी, ऐसा एक सवाल अुठाय़ा गया है। मुझे लगता है कि यह सवाल बिल्कुल अुठना ही नहीं चाहिये। क्या हमारी स्त्रियां सारा दिन अितनी ज्यादा व्यस्त रहती हैं कि दिनमें फुरसतका अुन्हें एक घंटा भी नहीं मिलता? अगर वे अपने जिस समयका अुपयोग कातनेमें करें, तो अुन्हें लगभग बिना किसी कीमतके अपनी साड़ी मिल सकती है। अलबत्ता कपासका दाम अुन्हें देना पड़ेगा, तो भी अुनकी यह साड़ी किसी दूसरी साड़ीसे सस्ती ही पड़ेगी। और अपने हाथ-कते सूतकी साड़ी जब वे पहनेंगी, तो अुन्हें वह अवश्य अच्छी लगेगी। अम्माससे अुनकी कुशलता और बढ़ेगी और अुनकी चपल अंगुलियां और ज्यादा अच्छा सूत निकालेंगी, क्योंकि वे उसे अपनी ही साड़ीके लिये कातेंगी।

हम लोगोंमें से जिन्हें खादीके अुत्पादनका प्रत्यक्ष अनुभव है, वे जानते हैं कि जिन लोगोंके पास आमदनीका कोयी दूसरा जरिया नहीं है, अुन्हें जिससे कितनी राहत मिलती है। मुझे अुन दिनोंका स्मरण है, जब मैं खुद अुन खादी-केन्द्रोंमें जाया करता था, जहां सूत खरीदा जाता था और फटे कपड़े पहनकर गरीब स्त्रियां मीलों दूरसे अपना कता हुआ सूत बेचनेके लिये लाती थीं। अगर किसी कारणसे अुनका सूत खरीदनेसे अिन्कार कर दिया जाता, तो अुनके चेहरों पर अुदासी और निराशा छा जाती थी। यह देखकर दर्शकके मनमें यह विचार आये बिना नहीं रहता था कि खादी-काम हमारी जनताके गरीब वर्गके लिये कितना अुपयोगी है। आज भी हमारे देशकी परिस्थितिमें ऐसा कोयी खास फर्क नहीं हो गया है कि गरीबोंको जिस तरहकी राहतकी कोयी आवश्यकता न रह गयी हो।

जिसलिये मेरा अनुरोध है कि जब हम खादीकी बात सोचें, तो मिल-मालिक या मिल-मजदूरका नहीं; बल्कि गांवकी गरीब स्त्रीका खयाल करें।

बेकारीका सवाल

बेकारीके सवालसे हम सब बहुत चिंतित हैं, और यह ठीक ही है। आप जिस सवाल पर विचार करेंगे, तो आपको समझमें आयेगा कि खादीने कितना काम-बंधा पैदा किया था। अगर मैं भूल नहीं करता हूँ, तो मिलमें काम करनेवाला एक आदमी, जो तबकुछे चलाता है, २०० आदमियोंको बेकार बनाता है। इसी तरह मिलमें करघों पर काम करनेवाला एक आदमी हाथ-करघों पर काम करनेवाले १०-१२ बुनकरोंका काम कर देता है। जिससे आप अनुमान कर सकते हैं मिल एक दिनमें भी कितनी ज्यादा बेकारी बढ़ाती है।

मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि देशमें औद्योगिकरण नहीं होना चाहिये। वह एक बड़ा सवाल है और उसके गुण-दोषोंका विचार

करके उस पर निर्णय किया जाना चाहिये। मैं तो आपके सामने एक हकीकत पेश कर रहा हूँ, जिससे कोजी अिन्कार नहीं कर सकता और जिसका असर हमारे देशकी गरीब जनताके प्रतिदिनके जीवन पर हो रहा है। असलिये यह जरूरी है कि जब हम खादीकी बात सोचें, तब देशके एक बड़े वर्गमें फैली हुयी बेकारी और अर्ध-बेकारीका भी खयाल करें। सवालको जिस दृष्टिसे देखें तो मालूम होगा कि खादीको जो भी आर्थिक मदद दी जायगी, वह व्यर्थ नहीं जायगी। अगर आप उसे यह मदद नहीं देते हैं, तो आपको अिन लोगोंके निर्वाहका कोजी दूसरा जरिया ढूँढना पड़ेगा। ज्यादा अच्छा यही है कि खादीको आर्थिक मदद देकर उनका पोषण किया जाय।

हम लोगोंका अनुभव है कि जब भूकम्प या बाढ़ जैसी बड़ी विपत्तियां आ पड़ती हैं, तो विपत्तिग्रस्त अिलाकोंमें खादी-केन्द्र खोलनेसे लोगोंको बड़ी राहत मिलती है। बिहारमें अभी हालमें नदियोंकी बाढ़से जो नुकसान हुआ, उसके सिलसिलेमें मेरे पास खादी-कार्यकर्ताओंकी तरफसे अिस तरहके तार आये हैं कि अुन्हें अुनके पास जो पैसा पड़ा हुआ है उसका अुपयोग खादी-केन्द्र खोलनेके लिये करने दिया जाय।

खादी खरीदना दानमें दिये हुये पैसे जैसा नहीं है। अुससे लाखों लोगोंको काम-धंधा मिलता है। खादी खरीदकर हम अपना पैसा व्यर्थ नहीं खर्च करते, अुसे सुन्दर वस्तुओंके निर्माणमें अिनो-जित करते हैं। हम वर्षोंसे शक्कर और लोहेके अुद्योगोंको करोड़ों रुपयोंकी मदद देते आये हैं। अुसका हमने कभी कोजी विरोध नहीं किया। अुन्हें अुसकी जरूरत थी। तो मैं चाहता हूँ कि खादीको भी मददके तौर पर कुछ दिया जाय, क्योंकि किसी दूसरे संघटित अुद्योगकी अपेक्षा खादी अुसकी ज्यादा हकदार है।

कुछ सूचनाओं

मैं अेक-दो सूचनाओं करना चाहता हूँ। आप लोगोंमें से बहुतेरे सरकारी महकमोंके प्रमुख हैं। मैं यह तो नहीं कहता कि सेना अपनी वरदीके लिये खादीका अुपयोग करने लगे, यह तो मैं पुलिससे भी नहीं कहता। अेक तो हमारे पास आज अितनी खादी शायद होगी भी नहीं। लेकिन राष्ट्रपति-भवनमें तथा दूसरे सरकारी महकमोंमें खादीका अुपयोग न हो, अिसका मैं कोजी कारण नहीं देखता। स्पेट, नेपकिन आदि वे कपड़े, जिनका अुपयोग हम खाना खानेमें करते हैं, टावेल, परदे, डस्टर और अिस तरहकी अन्य बहुतसी चीजें, जिनका अुपयोग कार्यालयों या अस्प-तालों आदिमें रोजाना होता है, खादीके हो सकते हैं। अिसलिये मैं सूचना करता हूँ कि सरकार पुलिस और सेनाको छोड़कर बाकी सारे विभागोंको हिदायत कर दे कि वे अपनी अिस तरहकी सारी चीजें खादी-भण्डारोंसे खरीदें। अगर अैसा किया गया, तो खादी-आन्दोलनको काफ़ी बल मिलेगा। सिर्फ अिस कारण नहीं कि सरकार बहुतसी खादी खरीद लेगी, बल्कि अिसलिये भी कि आम लोगों पर अिस बातका अच्छा असर पड़ेगा। अगर अैसा किया जाय तो खादी बढ़ेगी और अुसकी बिक्रीका सवाल, जो कभी-कभी बहुत बड़ा बन जाता है, हल हो जायगा। और यह तो मैं कह सकता हूँ कि अगर खादीकी बिक्री निश्चित हो जाय, तो अुसके अुत्पादनमें कोजी कमी नहीं आयगी। अिसलिये जरूरत खादीके अुपयोगका प्रचार करनेकी है; जोर-जबरदस्तीसे नहीं, बल्कि खादी-अर्थशास्त्रके दुनियादी तथ्योंको समझकर और स्वेच्छापूर्वक सहयोग देकर।

मैं चाहता हूँ कि आप अुसे सिर्फ आर्थिक दृष्टिसे न देखें, बल्कि राष्ट्रकी आवश्यकता मानकर अुस पर विचार करें। खादी हमारी जनताके सबसे गरीब वर्गकी मदद करती है और लाखों लोगोंको काम देती है।

(अग्नेजीसे)

भारत किधर जा रहा है ?

[जॉन सेमूर बी० बी० सी०, लन्दन से किये गये अपने अिम्नलिखित वायुप्रवचनमें आजकल अुन्होंने भारतमें जो कुछ होता देखा अुसका वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि हमारे देशके भविष्यके विषयमें हमारे बीच भारी विवाद चल रहा है। विवाद अिस प्रश्न पर है कि हमें पश्चिमकी औद्योगिक क्रान्तिका अनुसरण करना चाहिये या गांधीजीके बताये हुये मार्ग पर चलकर खादी और ग्रामोद्योगों पर अपनी अर्थ-रचना खड़ी करनी चाहिये? बेशक, हम आज पूर्व और पश्चिमकी विचार-धाराओंके चौराहे पर खड़े हैं, जहां हमें अिनमें से किसी अेकको चुननेका फैसला करना है। अैसा करनेमें जिन मुद्दोंका हमें विचार करना चाहिये अुनके विषयमें हम सजग रहें, ताकि हम सही और विवेकपूर्ण निर्णय कर सकें। अेक बाहरका व्यक्ति हमारे अिस प्रश्नको किस दृष्टिसे देखता है, अिसका सजीव वर्णन हमें अिस लेखमें मिलेगा।

१०-८-५३

— म० प्र०]

दो तरहके कपड़ा-अुद्योग

भारतसे मैं वापस आया, अुसके पहले मैंने कुछ दिन अुत्तर भारतके अेक देशी राज्यमें विताये। वहांके राजाके हाथमें अब किसी तरहकी सत्ता नहीं रही और अुसे हर साल अिन्कम टैक्ससे मुक्त ५०,००० पाँडकी रकम मिलती है। फिर भी अुसकी मध्यकालीन राजधानीमें अेक बड़ा किला और अनेक महल और आमोद-प्रमोदके बाग-बगीचे अपना प्रभुत्व जमाये हुये हैं। लेकिन शहर पर अुनके अिस प्रभुत्वमें हिस्सा बंटानेके लिये वहां अेक नया किला खड़ा हो गया है। अिसमें शक नहीं कि जैसे-जैसे समय बीतेगा, यह किला अुसके अधिकाधिक हिस्से पर अधिकार करेगा। और यह किला वहांकी कपड़ा-मिल है।

सूती कपड़ेकी मिलमें गर्मी और नमी होती है। और गर्मीके दिनोंमें तो वहां भयंकर गर्मी होती है। वहां अेक ही तरहका आदमीको पागल बना देनेवाला अपार शोरगुल मचा रहता है, जो आम तौर पर अर्थहीन और आदमीको घबरा देनेवाला होता है।

अब कांग्रेस-सरकारने अिस शहरमें अेक दूसरे प्रकारका कपड़ा-अुद्योग खोला है— हाथ-करघा अुद्योग। या कमसे कम अुसने हाथ-करघेके पुराने मृतप्राय अुद्योगको फिरसे सजीव किया है। वहां अेक स्कूल है, जिसमें हाथसे कपड़ा बनानेकी तालीम दी जाती है। अिसके अलावा, वहां दूसरे भी कभी अुद्योग सिखाये जाते हैं, जिनमें बड़े यंत्रोंकी जरूरत नहीं पड़ती।

भारतमें सच्चा संघर्ष

अिस कपड़ा-मिल और गृह-अुद्योगोंकी शालामें पहली बार घूम आनेके बाद मैं शालाके संचालकके घरमें दूसरे आधे दर्जन लोगोंके साथ आकर बैठा और हमने स्वादिष्ट लस्सी पी। बादमें हमारी बातचीत अुस प्रश्न पर मुड़ी, जो मैं मानता हूँ कि आज भारतमें चल रहे सच्चे संघर्षकी जड़ है; लेकिन यह संघर्ष साम्यवाद और पश्चिमके ढंगकी लोकशाहीके बीच नहीं है।

बड़े अुद्योग या गृह-अुद्योग? शहरके कारखाने या ग्रामोद्योग? और अिस प्रश्नके जवाब पर दूसरे कभी प्रश्न निर्भर करते हैं: छोटे खेत या बड़े खेत? ट्रैक्टर या बैल? पशुओंके गोबरका खाद या कृत्रिम खाद? जंगी जहाज या आगबोट? मेरी रायमें भारत आज दुनियाका सबसे दिलचस्प देश है, क्योंकि वही अेक देश है जहां अैसे प्रश्न पूछे जाते हैं।

कार्यक्षमता या आनन्द ?

लस्सी पीते-पीते हमने सूती कपड़ेकी मिल और हाथ-करघेकी तुलना की। मिलके मनेजरने, जो हमारे साथ था, कहा कि मैं नहीं

समझ पाता कि हाथ-करघा बुद्योग बड़ी-बड़ी मिलोंकी होड़में कैसे टिक सकेगा। मिलें हाथ-करघेसे कहीं ज्यादा कार्यक्षम हैं।

एक नवयुवकने, जो हाथ-करघा बुद्योगकी शालामें शिक्षक था, पूछा: "कार्यक्षम किसके लिये?"

मिल-मैनेजरने जवाब दिया: "बेशक, कपड़ा बनानेके लिये।"

लेकिन नवयुवकने कहा कि मैं अपने हाथ-करघे पर बड़ा सुन्दर कपड़ा बनाता हूँ और अपनी जरूरतका हर तरहका कपड़ा बना सकता हूँ।

मिल-मैनेजरने कहा: "लेकिन देखो, अगर तुम्हारे पास मशीन हो तो एक घंटेमें तुम अतना ही कपड़ा बना सकते हो, जितना कि आज हाथ-करघे पर दिनभरमें बनाते हो।"

अस पर शिक्षकने कहा: "ठीक है। लेकिन मैं हाथ-करघे पर काम करते-हुए बड़े आनन्दका अनुभव करता हूँ। तब भला मैं हाथ-करघे पर मिलनेवाले अस आनन्दको क्यों छोड़ूँ?"

मुझे लगा कि यहां मुझे कुछ कहना चाहिये, असिलिये मैं बोला, "लेकिन यह निश्चित है कि कोअी भी आदमी काममें आनन्दका अनुभव नहीं करता।"

हाथ-करघेके शिक्षकने जवाब दिया: "अगर मुझे अपने काममें आनन्द नहीं आता तो मैं उसे नहीं करता। मैं दूसरा कोअी आनन्दप्रद काम ढूँढ लेता। हम अपने जीवनका बहुत बड़ा हिस्सा काममें ही बिताते हैं। अगर यह काम आनन्दरहित हो, तो यही कहना होगा कि हम अपनी जिन्दगी बरबाद करते हैं।"

मैं मानता हूँ कि स्टेलिनवादियों और अमरीकी ढंगके पूंजीवादके हिमायतियोंके बीच चलनेवाली चर्चके बनिस्बत भारतके लोग अपने देशमें चल रहे अस बड़े विवादको ज्यादा महत्त्व देते हैं।

हाथ-करघा बुनकरके विचार रखनेवाले किसी आदमीकी निगाहमें अमरीकी जीवन-पद्धति और रूसी जीवन-पद्धतिमें दर-असल कोअी बड़ा फर्क नहीं है। वह तो अिन दोनों जीवन-पद्धतियोंको गलत मानता है। वे दोनों 'कार्यक्षमता' को (मेरे शिक्षक-मित्रके शब्दोंमें) व्यक्तिके सुख और आनन्दसे ज्यादा महत्त्व देती हैं। हाथ-करघा बुनकरोंको मदद पहुंचानके लिये सरकारने कानून बनाकर मिल-मैनेजरको कपड़ेका अुत्पादन काफी घटानेके लिये मजबूर कर दिया है। मैनेजर असका विरोध करता है, क्योंकि वह जानता है कि मिलोंको पूरी छूट दी जाय, तो वे कुछ ही महीनोंमें भारतके हर हाथ-करघा बुनकरको भूखों मार संकती हैं। वह अिसे अन्याय मानता है कि सरकार दो प्रतियोगियोंमें से अेकको नाजायज फायदा पहुंचानेके लिये दूसरेके काममें हस्तक्षेप करके अुसे मुसीबतमें डाले। वह समझ नहीं पाता कि भारतके अुद्योगोंको अेक हाथ पीछे बांधकर पंगु बना दिया जाय, तो वह कैसे प्रगति कर सकेगा और दुनियाकी होड़में कैसे टिक सकेगा। असका आदर्श भारतको पूर्वका अमेरिका बनानेका है; और वह जानता है कि जब तक भारतमें हाथ-करघे चालू रहेंगे, तब तक यह आदर्श सिद्ध नहीं हो सकता।

गांधीजीका प्रभाव

और संभावना यही है कि हाथ-करघे भारतमें जिन्दे रहेंगे। भारत पर आज भी महात्मा गांधीका बहुत बड़ा प्रभाव है। कोअी अुनके प्रभावसे बच नहीं सकता। गांधीका प्रभाव भारत पर आज जितना है, अुतना कभी नहीं रहा और वह दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है।

अुस मिल-मैनेजरके प्रगति-संबंधी आदर्शोंके खिलाफ गांधी-प्रेरित प्रतिक्रियाका बल बढ़ता जाता है। बहुतसे भारतीय — या

यह कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अधिकतर भारतीय — पश्चिमकी यंत्रोद्योग-प्रधान जीवन-पद्धतिसे प्रभावित नहीं हुअे हैं। बेशक, वे गरीबी और अन्नकी कमीका अन्त देखना चाहते हैं, लेकिन वे यह नहीं मानते कि बड़े कारखाने और बड़े पैमाने पर किया जानेवाला अुत्पादन अस ध्येयको प्राप्त करनेके अुत्तम साधन हैं। गांधीके अनुयायी, जिनमें भारतके बहुसंख्यक लोग शामिल हैं, मोटर-कार, जेट-प्लेन और अमरीकी नशीले पेय नहीं चाहते।

भारत-सरकारका रुख

राज्य-सरकारें कुल मिलाकर गांधीकी विचारधाराकी तरफ झुकती हैं। लेकिन केन्द्रीय सरकार अेक साथ दो घोड़ों पर सवारी करनेकी अनोखी करामात दिखानेकी कोशिश कर रही है। अेक ओर वह बड़ी मिलें और कारखाने खोलनेके खातिर विदेशी पूंजीको आकृष्ट करनेके लिये आकाश-पाताल अेक कर रही है, और दूसरी ओर ग्रामोद्योगोंको संरक्षण दे रही है। मुझे कहना चाहिये कि पंडित नेहरूका झुकाव बड़े अुद्योगोंकी तरफ है। बेशक, भारत जैसे भूखे और कंगाल देशमें वे बड़े अुद्योगोंसे मिलनेवाले लाभोंको छोड़नेकी हिम्मत कर नहीं सकते हैं। दूसरी चीजोंके साथ सिंचाई और जल-विद्युत्के लिये बांधे जानेवाले बांधोंके लिये बड़ी मशीनोंकी जरूरत है, जो आज भारतकी शकल ही बदल रहे हैं।

लेकिन गांधीकी आवाज कोअी अरुण्यरोदन नहीं थी। गांधी भारतका नेतृत्व असिलिये कर सके कि भारत अुनके पीछे चलनेको तैयार था। भारतके हर कस्बे, शहर और बड़े गांवमें आपको खादी-केन्द्र मिलेगा। यह वह स्थान है, जहां लोगोंको कपाससे कपड़ा बनाना सिखाया जाता है। भारतके हर गांवमें आप देखेंगे कि वहांकी औरतोंको जब दूसरा कोअी काम नहीं होता, तब वे जमीन पर बैठकर चरखा कातती रहती हैं। छोटे-बड़े हर गांवमें बुनकरोंका घर जरूर होगा और पेड़ोंकी छांहमें आप अुनको कपड़ा बुनते देखेंगे।

खादीका धर्म

भारतके बहुत बड़ी संख्याके लोगोंके लिये खादी धर्म जैसी हो गयी है। महात्मा गांधीने अंग्रेजोंको परेशान करनेके लिये खादी शुरू नहीं की थी। स्वतंत्रताके बाद खादीका आन्दोलन भारतमें खूब बढ़ा है। वहां बहुतसे लोग मिलके कपड़ेके बजाय अुसी दर्जेके हाथके कपड़ेके लिये ज्यादा दाम देनेको तैयार रहते हैं — बशर्तें मशीनसे बनी चीजको कभी आदमीके हाथकी बनी चीजके दर्जेकी माना जा सके। कांग्रेस पार्टीका अच्छा सदस्य — और देशकी पार्लियामेन्टमें कांग्रेसका भारी बहुमत है — मिलका कपड़ा पहननेकी कभी हिम्मत नहीं करता।

दूसरे शब्दोंमें, पश्चिम जिसे 'कार्यक्षमता' कहता है, अुसे भारतमें आज भी प्रगतिकी अेकमात्र कसौटीके रूपमें नहीं देखा जाता। आप हमेशा यह सवाल पूछा जाता सुनेंगे: 'कार्यक्षमता किसके लिये?' अुदाहरणके लिये, अेक आदमी भाप या बिजलीकी शक्तिसे चलनेवाले करघेके सामने आठ घंटे खड़ा रहे और बादमें कारखानोंकी गंदी चालोंमें या अससे भी बदतर मजदूरोंकी गंदी बस्तीमें जाकर सो रहे, अससे क्या अुसे लाभ होगा? क्या अससे अुसकी मनुष्यतामें कमी नहीं आयेगी? असके बजाय क्या यह अच्छा नहीं होगा कि वह अपने घर ही अपनी सुविधासे अैसा कोअी काम करे, जिसमें अुसे आनन्द आये? यह अेक अैसी वस्तु है, जिसका पश्चिमके कार्यक्षमताके विशेषज्ञ विचार नहीं करते।

भारतमें मैं जहां भी गया, वहां मैंने ग्रामवासियोंके जीवनको अुन्नत बनानेके प्रयत्न होते देखे। वैसे तो यह काम गांधीकी पद्धतिसे ही किया जाता है, लेकिन अैसे लोगों द्वारा जो सिद्धान्तोंसे

थोड़ा समझौता करनेके लिये तैयार हैं और अंक हद तक मशीनोंका भी उपयोग कर लेना चाहते हैं।

मद्रास राज्यके कुछ गांवोंमें मैं गया था। सरकार अणु गांवोंका विकास करनेके प्रयत्नमें लगी हुयी है और वहां ग्रामोद्योगोंको प्रोत्साहन दिया जाता है। लेकिन जिस काममें अंक हद तक आधुनिक मशीनोंकी मदद ली जाती है। अंक नयी जल-विद्युत्की योजना पूरी हो जानेसे हालमें ही अंक जिलेमें विजली आयी है। वहां मैंने अंक छोटासा बुनायी-केन्द्र देखा, जहां चार करघे विजलीसे चलाये जाते थे। जो युवक मुझे केन्द्रका परिचय करा रहा था, उसने कहा कि यह केन्द्र अंक छोटीसी सहकारी मंडली द्वारा चलाया जाता है, जिसके सदस्य समय मिलने पर यहां आते हैं और करघे चलाते हैं। फसल कटनेके मौसममें यह छोटासा कारखाना बन्द रखा जाता है।

मनुष्य और मशीन

मैंने उस युवकसे पूछा : "मशीनके उपयोगका गांधीके विचारोंसे कैसे मेल बैठता है?" उसने कहा : "गांधीजी तो हमें पाश्चात्य देशोंकी जीवन-पद्धतिसे बचना चाहते थे, जहां मनुष्य लगभग मशीन जैसे बन गये हैं। अगर हम अपने लोगोंको गांवमें ही रख सकें, तो हम गांधीजीकी कही बात ही करते हैं। जिसका कोअी कारण नहीं है कि हम मशीनका उपयोग न करें। हमें ध्यान इसी बातका रखना है कि हम कहीं मशीनोंके गुलाम न बन जायें या मशीनें हम पर हावी न हो जायें।"

आज भारत छोटी-छोटी सहकारी मंडलियोंका देश बन रहा है—खास करके उत्पादकोंकी सहकारी मंडलियोंका। ग्रामवासी ट्रेक्टर खरीदने या सारे सदस्योंके खेतोंमें सिंचायी करनेके लिये मोटर-पंप खरीदने या छोटासा कारखाना खोलनेके लिये सहकारी मंडली बनाते हैं। गांवोंके ये छोटे-छोटे कारखाने खेलनेके गुब्बारोंसे लेकर टीनकी पेटियों तककी अनेक चीजें थोक-बन्द बनाते हैं।

बड़े-बड़े उद्योगवालोंको—और अणुका बल बहुत बढ़ा हुआ है—जिससे बिलकुल अलग ही प्रकारका भारत चाहिये। अणुका कहना है कि खेतीमें मशीनें बाखिल करनी चाहियें, ताकि गांवोंकी आबादीका बड़ा हिस्सा जमीनसे मुक्त होकर शहरोंमें जा सके। वहां जो नये-नये कारखाने खुलेंगे, अणुमें जिसका उपयोग कर लिया जायगा। दूसरे शब्दोंमें, अणुका यह मत है कि भारतमें पाश्चात्य अर्थशास्त्रियोंकी औद्योगिक क्रान्ति होनी चाहिये।

लेकिन गांधीके अनुयायी असा नहीं चाहते। वे कहते हैं कि भारतमें अंग्रेज आये, उससे पहले हमारे गांव पूरी तरह स्वावलम्बी थे। वे आज फिरसे गांवोंको स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं। अन्नकी तंगीके बारेमें तो खुद गांधीजीने भी आबादीके नियंत्रणकी आवश्यकताको किसी हद तक स्वीकार किया था। आज भारतके शहरों और गांवोंमें व्यापक रूपसे जिस आवश्यकताको महसूस किया जा रहा है। अगर किसी देशमें जीवन-निर्वाहके साधनोंकी मर्यादासे बाहर आबादीको बढ़ने दिया जाता है, तो वहां भूखका बोलबाला रहेगा ही—भले वहां बड़े कारखानोंकी अर्थव्यवस्था हो या ग्रामोद्योगोंकी।

गांधीके अनुयायी जिस बातको स्पष्ट रूपसे स्वीकार करते हैं कि पश्चिमकी दृष्टिसे ग्रामोद्योगों पर आधार रखनेवाली अर्थ-व्यवस्था बड़े उद्योगोंकी अर्थव्यवस्था जितनी कार्यक्षम नहीं होगी। लेकिन फिरसे वे पूछते हैं : 'कार्यक्षम किसके लिये?'

[२ अगस्त, १९५३ के 'लीडर' से अर्द्धत]
(अंग्रेजीसे)

केवल शैक्षणिक प्रचार काम नहीं देगा

मद्य-निषेधके संबंधमें मेरा काम ठेठ सन् १८९३ से शुरू हुआ, जब मैं पहले-पहल दक्षिण अफ्रीका गया। जब मैंने अपने ही लोगोंको, अपने ही देशबंधुओंको और स्त्रियोंको भी, जो हिन्दुस्तानमें तो सपनेमें भी कभी शराब पीनेका विचार नहीं कर सकती थीं, शराब पीते देखा तो मैंने समझ लिया कि यह काम बड़ा कठिन है। ये पुरुष और स्त्रियां मद्य-निषेध पर कोअी भाषण सुननेको तैयार नहीं थे, व्यक्तिगत सलाहकी तो बात ही क्या कही जाय। मैंने यह भी देखा कि अणुमें से कुछ तो विलकुल वेबस थे या वे अपनेको लाचार समझते थे। मैंने असे कअी अपाय किये, जो कोअी सत्ताहीन व्यक्ति भरसक कर सकता है। लेकिन मैं यह दावा नहीं कर सकता कि अपने अणु प्रयत्नोंमें मुझे कोअी सफलता मिली।

ये लोग (हिन्दुस्तानी मजदूर), जो शराब पीनेके आदी हो गये हैं, अपनी जिस लतका बचाव नहीं करते—वे भी जिसे बुरी मानते हैं। वे जिससे लज्जित होते हैं। अगर आप अणुसे जिस बारेमें बात करें, तो वे कहेंगे कि हम लाचार हैं, हम अपढ़ मजदूर हैं। वे आपसे कअी तरहकी झूठी बातें कहेंगे और आपको धोखा देनेकी कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी जिस आदतसे वे शर्मिन्दा होते हैं। दूसरी तरफ, युरोपमें अगर आप मुझसे मिलने आयें और मैं आपका शराबसे स्वागत न करूं, तो वह मेरी असम्पत्ता कही जायगी। जब मैं अंग्लैण्डमें पढ़ता था, तब मुझे बड़ी कठिन परिस्थितिका सामना करना पड़ता था। क्योंकि मैं अपने दोस्तोंको शराब पिलाना वरदास्त नहीं कर सकता था। लेकिन हिन्दुस्तानमें असी बात नहीं है। जिसलिये मेरा यह सुझाव है कि आपका यह कहना गलत होगा कि कानून बनानेके पहले लोगोंको शराब छोड़नेकी शिक्षा देनी चाहिये। केवल शिक्षासे यह बुराभी कभी दूर नहीं हो सकती।

जिसलिये मैं आप लोगोंसे अनुरोध करूंगा कि आप संपूर्ण शराबबंदीके लिये जोरदार आन्दोलन करना अपना पवित्र कर्तव्य बना लें।

('यंग अिडिया', १८-४-२९)

मो० क० गांधी

विवेक और साधना

लेखक : केदारनाथ

संपादक

किशोरलाल मशरूवाला : रमणीकलाल मोदी

कीमत ४-०-०

डाकखर्च १-२-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-९

विषय-सूची	पृष्ठ
सत्याग्रहकी मर्यादा	गांधीजी २३३
हिन्दू समाजकी चेतावनी	मगनभायी देसायी २३३
खादीका उपयोग—अंक राष्ट्रीय कर्तव्य	वैकुण्ठलाल महेता २३४
गरीबी और मौज-शौक	अन० आर० बालकृष्णन् २३५
भूमिदान और सत्याग्रह	मगनभायी देसायी २३६
सरकारी कर्मचारियोंको राष्ट्रपत्तिका आदेश	२३७
भारत किधर जा रहा है?	जॉन सेमूर २३८
केवल शैक्षणिक प्रचार काम नहीं देगा	गांधीजी २४०